इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2022—आश्विन 1, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2022

क्र. एफ-2-21-2022-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम कल्याण मंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम कल्याण मंडल की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.43	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (श्रम कल्याण)	जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी कल्याण पर्यवेक्षक एवं कल्याण निरीक्षक.	आवेदन जमा करने हेतु मंडल द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् 30 कार्य दिवस.	सहायक कल्याण आयुक्त, म. प्र. श्रम कल्याण मंडल, भोपाल.	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त, म. प्र. श्रम कल्याण मंडल, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.44	शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (श्रम कल्याण)	जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी कल्याण पर्यवेक्षक एवं कल्याण निरीक्षक.	आवेदन जमा करने हेतु मंडल द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् 30 कार्य दिवस.	सहायक कल्याण आयुक्त, म. प्र. श्रम कल्याण मंडल, भोपाल.	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त, म. प्र. श्रम कल्याण मंडल, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.